फजोडमल बनाम बन्नुलाल अ.न. 135/11

दिनांक	आज्ञा पत्र	
2.9.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप। बहस का निवेदन प्राप्त। वास्ते बहस दिनांक 5.9.24 को पेश हो। [signature]	
05/09/24 [thumb impression] ठो बख्तूराम पहचानकर्ता [signature] पहचानकर्ता Suniya Purohit	पत्रावली पेश। उभयपक्ष के उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। उभयपक्षों ने राजीनामे की पुष्टि व आदेशिका पर हस्ताक्षर अंगूठा निशानी अंकित की व उनकी पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामे की इबारत उभयपक्षों को पढ़कर सुनाई गई कि उन्होंने सही होना स्वीकार किया इस पर राजीनामा तस्दीक किया जाता है बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18.9.24 को पेश हो। [signature]	
18/9/24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 135/2011

1 कजोड़मल पुत्र रूघाराम जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 17 देवीपुरा सीकर तहसील व जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपीलांट

बनाम

1 बक्सूराम पुत्र धन्नाराम जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 39 राधाकिशनपुरा सीकर तहसील व जिला सीकर।

2 उप पंजीयक महोदय सीकर।

3 तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय सीकर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री, एसडीओ महोदय सीकर दिनांक 26.07.2011 दावा संख्या 255/2008 उनवानी कजोड़मल बनाम बक्सूराम आदि।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सुनिता पारीक, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कैलाश बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 18.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 255/2008 में पारित निर्णय दिनांक 26.07.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांकित 26.07.2011 के द्वारा निर्णय पारित किया है कि परन्तु कुए का विकय दोनों पक्षों किया गया था दूसरे पक्ष ने अपनी आराजी प्लाटो के रूप में बैच दी इसलिए प्लाटो में खरीदी जमीन को कुए के पानी से वंचित वादी नही कर सकता है और वादी मन्दिर के रास्ते को भी नहीं रोक सकता है। निर्णय का उक्त हिस्सा अवैध व खिलाफ कानून होने से व्यथित होकर यह अपील यह अपील प्रस्तुत की गई है। दिनांक 05.09.2023 को अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामें की पुश्त एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर अंगूठा निशानी अंकित की पक्षकारों की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामा उपस्थित पक्षकारों को पढ़कर सुनाया गया जिसे उन्होंने सही होना स्वीकार किया। इस पर इस न्यायालय द्वारा राजीनामा तस्दीक किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट ने मुताबिक राजीनामा अपील स्वीकार कर संसोधित निर्णय व डिक्री पारित करने का निवेदन किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। दिनांक 05.09.2023 को अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामें की पुश्त एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर अंगूठा निशानी अंकित की पक्षकारों की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामा उपस्थित पक्षकारों को पढ़कर सुनाया गया जिसे उन्होंने सही होना स्वीकार किया। इस पर इस न्यायालय द्वारा राजीनामा तस्दीक किया गया। लोक अदालत की भावना से पक्षकारों द्वारा किये गये राजीनामें को दृष्टिगत रखते हुए मुताबिक राजीनामा संसोधित निर्णय व डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मुताबिक राजीनामा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट वादी को भूमि खसरा नम्बर 1076 रकबा 1.69 हैक्टेयर, 1075 रकबा 0.02 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर